नहेदप्र
02.09.19

अपील रसद प्रकरण संख्या 06/2019 (RCMS 2019/00068) अनवान् व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर – मोहन सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर

27.11.2019

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हैं। और अपीलार्थी व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, रड़ेवाल – मोहन सिंह उपस्थित नहीं है। मोहन सिंह को बार–बार आवाज लगाई गई, किन्तु वह परन्तु वह आज भी उपस्थित नहीं हुए है। बहस पूर्व में ही सुनी जा चुकी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अपीलार्थी व्यवस्थापक, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम सेवा सहकारी समिति, रड़ेवाला द्वारा पॉस मशीन एफपीएस कोड 9026 के द्वारा आधार कार्ड संख्या 204833493854 से कुल 32 ट्रांजेक्शन अलग अलग राशन कार्डों पर उपयोग कर किये है। इसी आधार कार्ड का उपयोग एफपीएस कोड 6662 से भी करते हुए 02 ट्रांजेक्शन किये हैं। इस प्रकार उक्त आधार कार्ड से अलग अलग राशनकार्डों पर कुल 34 ट्रांजेक्शन कर 6.00 क्विंटल गेहूं, 15.05 किलोग्राम चीनी व 24 लीटर केरोसीन का उठाव किया है। उक्त आधार कार्ड रडेवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति, रड़ेवाला में कार्यरत ओमप्रकाश पुत्र श्री चम्पाराम का है। समिति द्वारा एक ही आधार कार्ड आई.डी. एक से अधिक राशनकार्डों में उपयोग कर पॉस मशीन के माध्यम से गैर कानूनी ट्रांजेक्शन संपादित किया गया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उसका प्राधिकार पत्र की जमा अमानत राशि जब्त सरकार कर प्राधिकार पत्र सही रूप से निरस्त किया गया है इसलिए अपीलार्थी का अपील खारिज करने योग्य है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, द्वारा दिनांक 16.01.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

समिति के जवाब नोटिस का अवलोकन करने पर पाया गया कि जवाब नोटिस संतोषजनक नहीं है। खाद्य विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उसके आधार कार्ड पीओएस मशीन में दर्ज कर गेहूं वितरण आवश्यक है परन्तु व्यवस्थापक द्वारा अपने आधार कार्ड पर 32 उपभोक्ताओं का गेहूं उठा लिया जो गंभीर अनियमितता है। इस प्रकार उक्त अनियमितताए कर समिति द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो। का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर समिति को एक ही आधार कार्ड पर 32 ट्रांजेक्शन करने का दोषी पाया जाता है तथा समिति के प्राधिकार पत्र की जमा अमानत राशि जब्त सरकार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति व्यवस्थापक जीएसएस, रड़ेवाला को भिजवाई जावे।

जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी व्यवस्थापक, उचित मूल्य दुकानदार, रड़ेवाला हैं। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि दिनांक 06.12.2016 को तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ6/खा.वि/कम्प्यूटर/पॉस/एफआईआर/16—17 दिनांक 21.11.2016 में जारी दिशा – निर्देशों की पालना में विभाग से दिनांक 08.11.2016 की बैठक में प्राप्त रिकॉर्ड/सूचना के अनुसार समिति द्वारा एह की आधार कार्ड पर 32 ट्रांजेक्शन कर 6.00 क्विंटटल गेहूं, 15.05 किलोग्राम चीनी व 24 लीटर केरोसीन का उठाव करने परसमिति के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर आदेश संख्या 7214—23 दिनांक 06.12.216 द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिनांक 13.12.2016 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त नोटिस के सम्बन्ध में दिनांक 30.12.2016 को व्यवस्थापक द्वारा उपस्थित होकर निम्न उत्तर दिया गया है।

"**मैं समिति में** कार्य अधिक होने के कारण बैंक संबंधी कार्य करता था, गेहूँ वितरण मेरे सहायक द्वारा किया जाता था, जिसकी जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि जिन लोगों के आधार कार्ड दर्ज कर दूसरे लोगों को गेहूँ दिया गया उनके अंगूठा निशान पीओएस मशीन में नहीं आ रहे थे। उपभोक्ताओं को गेहूं देना आवश्यक था इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड नम्बर दर्ज कर गेहूं दे दिया गया। इस संबंध में समिति की कोई बदनीपती नहीं है। गेहूं उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए दिया गया है।"

चूंकि अपीलार्थी व्यवस्थापक, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा खाद्य विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उसके आधार कार्ड पीओएस मशीन पर दर्ज कर ही गेंहू वितरण करना आवश्यक है। किन्तु व्यवस्थापक द्वारा 32 ट्रांजेक्शन कर 6.00 क्विंटटल गेहूं, 15.05 किलोग्राम चीनी व 24 लीटर केरोसीन का उठा लिया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया गया आदेश सही है एवं अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर